Serial No. 1808 Circle:-:NA Book No. :- 4 Deed No. 5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR 158425

Serial No. 1808 Deed No. 5

Govt. of Bihar

Sub Registry Office ,Lalganj

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 17/04/2015 by Madanmohan Singh

A Stamp Duty of Rs. 6000/- and other Fees of Rs. 2225/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 5 in Book No. 4, Volume No. 1 on pages from 48 to 56 and has been preserved in total 9 pages in C.D. No. 1 / Year 2015

Signature with Date

(Md. Sohail Akhter)

Date: 17/04/2015 Token No: 1814 /2015 Registering Officer, Lalganj

श्री गणेशाय नमः

(ट्रस्ट डीड)

हम कि 1. श्री मदन मोहन सिंह पुत्र स्व0 रामध्यान सिंह व 2. श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 शिवनाथ सिंह निवासी ग्राम रामदेव सदन मौजे चकबखारी थाना वैशाली जिला वैशाली।

सचिव जिन्हें आगे व्यवस्थापक /संस्थापक न्यासी कहा गया हैं व्यावस्थापक /न्यासीगण की इच्छा समाज में सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने

दी है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापना धनराशि अंकन 50,000/– रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिये कार्य जिनका विवरण आगे दिये गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त धनराशि अंकन 50,000/– रूपये को इस उद्वेश्य से हस्तान्तरित कर दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी व्यक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण होना स्वीकार होना स्वीकार किया हैं इस

Scanned with CamScanner

Sub District Registry Office,Lalganj

Token Number 1814 | Reg. Year 2015 | Serial Number 1808 | Deed Number 5

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Beneficiary Sig.	Same As Party First	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee Sig.	Dinesh Kumar दिनेश कुमार						
Trustee Sig.	Madanmohan Singh	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By Sig.	Madanmohan Singh मदनमोहन सिंह						
Identified By Sig.	Arvind Kumar अरविन्द कुमार 17/4/15						

SCORE Ver.3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By

मदन मोहन सिंह
17/4/2015

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR 158426

विलेखन का निष्पादन कर रहें है अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करके घोषणा करते हैं:–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम राधा गोविन्द एजुकेशनल ट्रस्ट होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय रामदेव सदन मौजे चक बखारी महेन्द्र थाना वैशाली जिला – वैशाली होगा, पिन नं0 844113 । परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वे उक्त मुख्य ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी अध्यक्ष एवं सचिव अपनी सहमति स्थानान्तरित कर सकते है तथा ट्रस्ट के उद्वेष्यों की पूर्ति के लिऐ न्यासीगण (व्यवस्थापकों) को यह भी अधिकार होगा कि ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय के अलावा उप कार्यालय (शाखाए) भी भारत वर्ष में कही भी खोला जा सकता है। जिसका प्रस्ताव पारित करने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव को संयुक्त रूप से होगा ।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त धनराशि ट्रस्ट की समस्त जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है। जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पति नगद राशि निवेश धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पति सावधि जमा अथवा चालु राशि जो उक्त ट्रस्टीगुण के समय– समय पर प्राप्त हो को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा करर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

बिहार BIHAR

T 158427

2015 APR -9

4. यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट की पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पतियों की समाज के शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा से सुविधा आादि के कार्य करने हेतु धारन करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्वेश्यों में परिवर्तन करने का पुर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं व्यक्तियों संस्थओं या विभागों से करने का पुर्ण अधिकार होगा ।

6. यह कि उपरोक्त उद्वेश्यों में समाज के उत्थान के सभी कार्या को पूर्ण करते हुए उसके अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना टस्ट्रीगण ट्रस्टी के फण्ड तथा आय को तथा उसके या किसी भग को नीचे दिये उद्वेश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वार्गीण रूप से पयोग कर सकते है ।

1. मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज की स्थापना व संचालन की स्थापना व संचालन करना।

2. इंजीनियरिंग कालिज तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना

Scanned with CamScanner

बिहार BIHAR

T 158428

3. स्कूल कालिज तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थओं की स्थापना व संचालन करना

4. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

5. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना प्राप्त करना उन्हें कय विकम करना हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमी पर कृषि कार्य करना ।

6. अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्रो के लिए छात्रवूति सहायता आदी प्रदान करना ।

7. अस्पताल , औषधालय,अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

8. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना शहरों में पेंड़ लगााना जिससे प्रदूषण कम हो खाली पड़ी भूमी पर वृक्षारोपण करणा ताकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रहे और आये के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हों पायें।

9. निरीह प्राणियों पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबंध करना एवं उपके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना ।

10. स्कूल व कालिज में छात्र/ छात्राओं को प्यावरण के लिए जागृत करने हेतू कार्याक्रम चलाना ।

Scanned with CamScanner

11. शैक्षिक किताबों , पेपर का प्रकाशन करना ,लाईब्रेरी रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

12. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना ।

13 ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उदेश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ।

14. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति व समाज के लिए कल्याणकारी हो

15. ट्रस्ट के कार्य व उद्वेष्य समाज में शिक्षा व सामाजिक सेवा का हैं। व्यवसायिक व लाभ का नहीं हैं। यानि शिक्षा क्षेत्र में स्ववित पोषित संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका लाभ रहित संचालन करना यानि NOT FOR PROFIT हैं। यानि ट्रस्ट का उद्वेष्य व्यवसायिक नहीं है।

7. यह कि न्याय /ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगाा।

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उदेश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगाा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

10. यह कि अध्यक्ष व सचिव का अधिकार ट्रस्ट की सम्पतियों पर होगा तथा अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनकी संतानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पतियों पर होगा। किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पतियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा ।

11. यह कि व्यवस्थापकों/संस्थापक न्यासी ने ट्रस्ट को सूचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त कर लिया है तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये उपाध्यक्ष व उपसचिव कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे । अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा । बाकी पदाधिकारियों पुनःचयन हो सकता हैं अध्यक्ष व सचिव उक्त पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है अध्यक्ष व सचिव उक्त पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल में पहले भी उनके पद से हटा सकते है।

12. यह कि राधा गोविन्द एजुकेशनल ट्रस्ट प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन सिंह व ट्रस्ट के प्रथम सचिव दिनेश कुमार होंगे।

13. यह कि पदाधिकारीयों के निम्न कर्तव्य एवं दायित्व होंगे

अध्यक्ष – ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्रवाई करना ।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना

सचिव– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप से पारिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से वितरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखा अध्यक्ष से सत्यापित कराना अगली बैठक के बुलाने के बुलाने की सुचना के साथ पिछली बैंठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी टन्रस्टियों को भेजना ट्रस्ट की समस्त आय एवं व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित करना ट्रस्ट की सभी चल एवं अचल सम्पतियों

Scanned with CamScanner

का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना कोषाध्यक्ष– ट्रस्ट की समस्त आय – व्यय का हिसाब रखना एव उनको ओडिट करना ट्रस्ट की समस्त व्यय जो सचिव द्वारा सत्यापित हो उसको अनुमोदित कर भुगतान करना ।

14. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे न्यायालय प्रकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबधित लेन– देन निर्माण मान्यता समबद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे । किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक कर अध्यक्ष द्वारा आहुत की आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष व सचिव की सहमति से अपना आदेष प्रदान करेंगे।

15. यह की ट्रस्टीगण समय– समय पर सामाजिक धार्मिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबंध एवं संचालन हेतु अपने विवके के अनुसार प्रबंध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबंध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबंध समिति के संबधित कार्यो उद्वेष्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगन उचित समझे उसे प्रदान करने की शक्ति होगी साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव ही उक्त समस्त प्रबंध समितियों के कोषाध्यक्ष व सचिव होंगे।

16. अध्यक्ष व सचिव की मृत्यू के बाद उनके बच्चे उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे। और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ।

17. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्ट रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनकों हटाने का अधिकार होगाा यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्वेष्यों में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को संयुक्त रूप से होगा ।

18. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवष्य होगी ।प्रस्तावित बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी प्रस्तावित बैठक की सुचना किसी भी ट्रस्टी को पत्रवाहक या दूरभाष या रजि0 डाक द्वारा सात दिन पूर्व देनी होगी। ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्याकाल में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहॉ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा ।

19. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हें दो ट्रस्टीयों का जो भी अधिक होना अनिवार्य होगाा यदि कोरम के आभाव में सभा स्थगित की जाती हैं तो स्थगित बैठक कि तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक या दुरभाष या संदेशवाहक द्वारा सुचना प्रेषित करना आवश्क होगा । कोई भी सभा कोरम पुरा किये बिना नहीं हो सकती सभा (बैठक) में अध्यक्ष व सचिव का होना आनिवार्य है।

20. यह कि उक्त व्यवस्थापको को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिकों का लाभा प्राप्त करने के अधिकारी होगे उक्त व्यवस्थापकों कि मृत्यु के बाद इनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा व्यवस्थापको ने उक्त ट्रस्ट का सर्जन अपने और अपनी संतानों के लाभ व हित के लिये किया हैं।

21. यह कि सभी संबंधित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्टी प्राप्त की गयी राशि सम्पति व प्रतिभूतियों के लिए उतरदायी होगे तथा केवल अपने द्वारा किए गए कार्य पाप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उतरदायी होगे। परन्तु अन्य ट्रस्टी बैठकर दलाल एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्टी कि राशि या प्रति भूतियॉ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेष का मुल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार कि हानी होने पर परन्तू व उपके द्वारा जानबूझकर कि

Scanned with CamScanner

गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ तो ट्रस्टगण उसके लिए व्यक्तिगत उतरदायी नही होगे।

22. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उदेश्यों से संबधित कार्य हेतू किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामील है को नियुक्त करने तथा उसके धन राशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा

23. यह कि ट्रस्टी ट्रस्ट के नाम से और ट्रस्ट द्वारा सचालीत संस्थाओ के नाम से भारत वर्ष के किसी राज्य में कही भी चालु खाता सावधि जमा खाता सेविंग बैंक खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हों में रखा सकतें है। परन्तु सभी उक्त बैंकीगं एकाउन्टस खातों का सचालन दो पदाधिकारीयों के हस्ताक्षरों से होगा जिसमें अध्यक्ष व सचिव होगे अध्यक्ष व सचिव संयुक्त सहमति से चाहे तो बैंक खाते के संचालन का अधिकार नियुक्त कोषाध्यक्ष को दे सकते हैं।

24. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्टी कि प्रप्ति व खर्चो का व ट्रस्टी फण्ड एवं सम्पतियों का सम्पूर्ण उचित तरीकें से बाजाब्त हिसाब रखेगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेख। आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेगे जो कि अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्तक्षरित किया जायेगाा ।

25. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्वेष्यों की पुर्ति हेतु तथा आवष्यक होने पर अन्य व्यक्तियों संस्थाओ अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगाा

26. यह कि ट्रस्टीगण के उद्वेष्यों कि पूर्ति हेतू कही भी चल व अचल सम्पति किन्ही दो शरतो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगें तथा ट्रस्ट के उदेश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारन करने चाहें पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा बिक्रय करने किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पुर्ण अधिकार होगा परन्तु टस्टीगण को ट्रस्टी के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नही होगा

27. यह कि ट्रस्ट मे सम्मिलित किसी राशि सम्पतियों आसितियो याा उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डो में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्षत अथवा बिना शर्त विक्रय करना क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनार्त विक्रय करना क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखन्डित करने का अधिकार होगा ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होगे।

28. यह कि अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए समय– समय भारतवर्ष में कही पर भी किसी भी बैंक से उधार –ऋण लेने का पुर्ण अधिकार होगा अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट की सम्पतियो को बंधक रखकर ट्रस्ट के उद्श्यो के लिए उधार –ऋण बैंक गारंटी लेने का पुर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट की सम्पतियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्वेष्यों के लिय उधार –ऋण बैंक गारंटी लेने का पुर्ण अधिकार होगा तथा कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

29. यह कि ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 व वैल्थ टैक्स एक्ट 1957 या कोई भी अन्य एक्ट के अन्तर्गत आयकर के प्राविधानों के अनुसार छुट पाने की अधिकारी होगी और उसके लिये विभग में कार्यवाही करेंगी ।
जैसे कि आयकर एक्ट 1961 या उसके उतराधिकार में मान्य होगी तथा आयकर अधिनियम के समस्त नियमों का पालन करेंगे।

30. यह कि अध्यक्ष एंव सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एंव सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा यह के ट्रस्टी के नाम नियम एंव उदेश्यो में परिवर्तन करने का

Scanned with CamScanner

अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा नऐ टस्टी सदस्यो को नियुक्त एंव निष्कासन के लिए अध्यक्ष एंव सचिव कि संयुक्त रूप से सहमति आवश्यक होगी और उसके लिऐ अध्यक्ष व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारीत करना होगा

31. यह कि अध्यक्ष एंव सचिव को ट्रस्ट के उदेश्यों के लिए ऋण की सम्पत्तियों परिस्थितियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शयरों ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पुर्ण अधिकार होगा।

32. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदी किसी कारण वर्ष से ट्रस्टीगण उक्त का संचालन करने में असमर्थ हो वो ट्रस्ट की सभी सम्पतियों परिस्थितियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पष्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा । अतः यह विलेख न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाणित एवं उपयोगी हो। इति।।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

17/4/2015

सचिव का हस्ताक्षर

दिनेश कुमार
17-4-15

गवाह का हस्ताक्षर

अरविन्द कुमार
17/4/15

नवीन कुमार वर्मा
मा० माधोपुर ग्राम
दस्तावेज नवीसी
ला० नं०-133/02

Scanned with CamScanner